DR. AMAR PATNAIK: Is the Government considering to link the cold chain system to a partly redeemable or a fully redeemable warehouse receipt scheme or cold chain receipt scheme in which case the small farmers can get the benefits?

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: I think this does not come under my mandate because Food Processing Industry is about promoting the infrastructure and the industry. But for hon. Members information, I would like to add, as said earlier, the raw material of this industry is the farmers' crop. Be it cold chain, where we set up a farm gate infrastructure, it has been made mandatory. So if they get a grant for a cold chain, they must set up at farm gate level as well along with processing or with the reefer vans, which are one of the two components. But farm gate level infrastructure is mandatory. In Mega Food Parks, again, the procurement is of the raw material. In all these things, there is a system in place where storage and preservation of the farmers' produce can be done. But I have a special focus, I have been trying, since the last five years, this Government has been focussing on creating farm gate level infrastructure and pushing the farmers from just an agro producer to an agro processor.

So, a part of it, he processes and the value-adds increase his income. There is a new scheme of Gram Samriddhi Yojana which is specially going to be focussed towards micro farmers and putting up these as well.

प्रो. मनोज कुमार झा: सभापति जी, माननीय मंत्री जी से मेरा एक प्रश्न है कि बिहार में मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है? अगर यह आपकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं है, तो क्या कारक हैं कि बिहार में यह मेगा फूड पार्क उस तरह टेक ऑफ नहीं कर पाया?

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, the hon. Member has asked a very good question. Although the questions are all about cold chain, but every one's mind is interested about Mega Food Parks. I would ask you to give me another question session just on Mega Food Parks. There is one Mega Food Park in Bihar which, according to me, is under implementation. But, I must say over here that we have a lot of trouble in Bihar to implement the projects. West Bengal and Bihar are two States where we have a lot of raw material, a lot of potential, but a lot of difficulties in implementing our projects over there. We have one Mega Food Park which is under implementation.

Burning of stubble residue in open

*62. LT. GEN. (DR.) D.P. VATS (RETD.): Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased lo state:

(a) whether Government is aware that farmers in States like Punjab and Haryana are forced to burn paddy/parali/stubble residue in open due to lack of technology for its management and lack of provision of cash incentives to dispose it scientifically; and

(b) if so, the urgent actions taken by Government to tackle this issue which worsens Air Quality Index (AQI) in the Northern parts of the country, particularly in Delhi?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI NARENDRA SINGH TOMAR): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. Paddy stubble burning is mainly practiced in Indo-gangetic plains of the States of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh to clear the fields for Rabi crop sowing.

To address air pollution and to subsidize machinery required for in-situ management of crop residue, a Central Sector Scheme on 'Promotion of Agricultural Mechanization for In-Situ Management of Crop Residue in the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and NCT of Delhi' for the period from 2018-19 to 2019-20 is being implemented with the total outgo from the Central funds of ₹ 1151.80 crores.

During 2018-19, the funds amounting to ₹ 269.38 crores, ₹137.84 crores, ₹ 148.60 crores and ₹ 28.51 Crores have been released to the Government of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and ICAR & Other Central Agencies respectively. During 2019-20, the funds amounting to ₹ 273.80 crores, ₹192.06 crores, ₹ 105.28, crores, ₹4.52 crores and Rs 18.48 crores have also been released to the Government of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, NCT of Delhi and ICAR respectively.

Out of these funds, the State Governments during 2018-19 have supplied more than 56290 machines to the individual farmers and Custom Hiring Centres on subsidy for in-situ management of crop residue. During 2019-20, it has been targeted to supply more than 46578 machines. The State Governments and Krishi Vigyan Kendras (KVKs) have also undertaken Information, Education and Communication (IEC) activities on a massive scale for creating awareness among farmers.

In compliance to the directions of Supreme Court vide order dated 06.11.2019, the Government of Punjab has brought out a scheme for providing compensation @ ₹ 100/-per quintal to those small and marginal farmers who are cultivating non-basmati paddy and are managing the paddy residue by in-situ method without burning. The Government of Haryana also brought out the scheme to provide ₹ 1000/- per acre operational charges for crop residue management for in-situ and ex-situ purposes. The Government of Haryana will also give ₹ 100 per quintal incentive to those farmers who have sold their paddy after 06.11.2019 and till 15.11.2019 and have not burnt the crop residue.

With the efforts of the Government through the above stated scheme, overall, about 15% and 41% reduction in burning events were observed in 2018 as compared to that in 2017 and 2016, respectively. During 2019-20, the total burning events recorded in the three states are 19.2% less than in 2018 till date. UP recorded 36.8% reduction, Haryana recorded 25.1% reduction, and Punjab recorded 16.8% reduction, respectively, in the current season than in 2018.

लेफ्टीनेंट जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (सेवानिवृत्त): माननीय सभापति, कल प्रदूषण पर जो discussion हुआ, उससे यह तो माना गया कि पराली जलाना, vehicular pollution, industrial pollution और brick kiln pollution से काफी कम है, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सारा discussion English language में हुआ, जबकि जो precipitating factors हैं, पराली जलाना और दिवाली के पटाखे जलाना, वे खास कर हिंदी स्पीकिंग एरिया से हैं, जिनमें हरियाणा, वेस्टर्न यू.पी. और पंजाब आदि राज्य आते हैं... पंजाबी भाषा तो हिंदी जैसी ज़बान है, इसलिए मेरी स्टेट से यह एक शिकायत थी कि आप हमें अंग्रेजी में blame कर रहे थे या शाबाशी दे रहे थे?

श्री सभापति: ठीक है, आपने शंका व्यक्त की है, पर आपका सवाल या सुझाव क्या है?

लेफ्टीनेंट जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (सेवानिवृत्त): सभापति जी, मेरा सवाल भी है... मेरा सवाल यह है कि show window period होने की वजह से, due to bad weather conditions, due to wheat sowing immediately after that and harvesting जो है, वह due to bad weather conditions की वजह से करना जरूरी हो गया था, वरना फसल खराब हो जाती... गवर्नमेंट ने इसका जिक्र तो किया कि हमने इतनी मशीनें बाँटी हैं, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका road map क्या है? इन precipitating factors पर कब तक काबू पाया जा सकेगा? आप किसान को जो सौ रुपये पर एकड़ की आर्थिक सहायता देते हैं, क्या वह काफी है या नाकाफी है?

श्री कैलाश चौधरी: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रखा है और उन्होंने उसमें लगभग उत्तर देने की कोशिश भी की है, उसके संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि यह किसानों का विषय है... जैसा कि आपने स्वयं यह कहा है कि पराली की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, वह किसानों की वजह से बहुत कम हो रहा है... यह मात्र 3 प्रतिशत के आस-पास है, बाकी प्रदूषण अन्य कारणों से होता है... आने वाले समय में जिस तरह से आपने मशीनरी का जिक्र किया है, किसानों के लिए सहायता की जो बात कही है, उस पर मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से निश्चित रूप से सौ रुपये का प्रावधान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके निर्देश दिए हैं, इसके बाद उन्होंने इसको अनिवार्य रूप से किया भी है... हमारे जो किसान हैं, उन्होंने आईसीआर के द्वारा एवं और अन्य प्रयोग करके ऐसी मशीनरी भी तैयार की है, जो पराली के उसी खेते के अंदर टुकड़े-टुकड़े कर देती है... हमारे पास मशीनरीज के बहुत ज्यादा नाम उपलब्ध हैं। उन्होंने सात मशीनरी तैयार की हैं, जिसमें रोटावेटर भी है, एपिश्रडरर भी है और जिनका बहुत ही ज्यादा भी उपयोग होता है। इसकी वजह से ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: मंत्री जी, कृपया आप बैठिए। डी. पी. वत्स जी, आपका दूसरा सप्लीमेंटरी क्या है?

लेफ्टीनेंट जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (सेवानिवृत्त): माननीय सभापति महोदय, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने एक presentation दिया था। उसमें यह बताया गया था कि अगर हम हरियाणा के 600

गाँवों और पंजाब के 600 गाँवों को पूरी तरह से पराली बर्निंग से फ्री कर दें, तो pollution के precipitating factors में काफी कमी आ जाएगी। हमें यह कुछ ज्यादा convincing नहीं लगा, क्योंकि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 600 गाँव हो जाते हैं। हमारे राज्य में तो कम Rice Bowl में से दस districts हैं और पंजाब में तो इससे भी ज्यादा districts हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस बारे में सरकार क्या सोच रही है कि वह पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को parali burning free बनाएगी या सिर्फ 600-600 गाँवों को?

श्री कैलाश चौधरी: माननीय सभापति जी, माननीय सदय ने जा कहा है, यह हमारा उद्देश्य है, क्योंकि पिछले तीन साल के जो आँकड़े हैं, उसके अंदर इसमें 54.5 प्रतिशत की कमी आई है। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पूरे देश के अंदर और मुख्य रूप से हमारे तीन स्टेट्स-उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में इसका असर ज्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं, कि पराली जलाने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से खत्म हो। Pollution के विषय में हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है। निश्चित रूप से यह हम सभी के लिए है। हम आगे इसका प्रचार-प्रसार करेंगे तथा इसके लिए किसानों को और ज्यादा जाग्रत करेंगे। हम इसको खेती में किस तरह से खाद के रूप में काम लें, जिससे इसी से वापस हमारा उत्पादन बढ़े, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है।

श्री सभापति: उनका सुझाव था कि यह प्रचार-प्रसार थोड़ा स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में करें, तो बेहतर होगा। श्री रवि प्रकाश वर्मा।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, बहत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर आया है। जब से खेती का mechanisation हुआ है, उसमें कुछ time constraint के हिसाब से 15-20 दिन की ही एक window चाहिए होती है, जैसा कि वत्स जी कह रहे थे। चूँकि किसानों के लिए भी urgency होती है, इसलिए वे पराली को जला रहे हैं। इस बात का जिक्र आया है कि इसका pollution में केवल 4 per cent contribution involved है। सरकारों ने करीब 1,151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ताकि यह न जलाया जाए। जिन किसानों को किन्हीं कारणवश पैसा नहीं मिल पाया, उन्होंने पराली जलाई।

श्री सभापति: आपका सवाल क्या है?

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, उनको जेल भेजा गया है। सवाल यह है कि agriculture कोई criminal activity तो नहीं है! खेती करने के लिए उनको जेल भेजा जा रहा है। इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट 100 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है, हरियाणा सरकार भी 1,000 रुपए प्रति एकड़ दे रही है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया है। सर, हम यह चाहते हैं कि जो agricultural processes होते हैं, पंचायतों के माध्यम से उनका नियमन हो और किसानों को रिहा किया जाए। इसमें किसानों को जेल भेजने पर प्रतिबंध होना चाहिए। क्या आप खेती करने वालों को जेल भेज देंगे? आगे कैसे काम चलेगा? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वे किसानों को जेल भेजने का प्रावधान खत्म करें।

श्री कैलाश चौधरी: माननीय सभापति जी, किसान को जेल भेजना और बेवजह भेजना, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि यह गलत है। यह राज्य सरकार का विषय है। अगर राज्य सरकार ऐसा करती है, तो मैं यह सोचता हूँ कि किसान अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। आज जिस तरह से 60 साल के अंदर किसान को गरीब बना दिया गया, वह किसने बनाया, हमें इसे भी देखना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यह राज्य सरकार का विषय है और उनको किसानों को देखना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Sekharji, is there any court order?

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Yes. Sir, on 5th November, the hon. Supreme Court directed the States of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh to provide financial assistance at the rate of ₹ 100 per quintal to the farmers to avoid burning of stubbles or *parali*. My question in this regard is whether in view of this order, the Government has taken up the issue with the concerned States for implementation of the order as burning stubbles from these States has affected the NCR region and the adjoining areas alarmingly.

श्री कैलाश चौधरी: माननीय सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, उसके आधार पर राज्य सरकारों ने उसको लागू किया है तथा उसके लिए प्रयास हो रहे हैं और किए जा रहे हैं।

श्री सभापति: मुझे इस विषय के बारे में थोड़ा कहना है कि उसने आदेश दिया, साथ ही साथ केस रजिस्टर करने का भी आदेश दिया। इसके बारे में थोड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसानों के ऊपर ऐसा कैसे चलेगा।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, इस पर डिबेट करनी होगी।

श्री सभापति: डिबेट करने से क्या होगा!

प्रो. राम गोपाल यादव: आप आदेश दे दीजिए, आपका आदेश सर्वोपरि है।

श्री सभापति: यह कोर्ट का मामला है, तो आदेश क्या? श्री विजय गोयल।

श्री विजय गोयल: सभापति जी, मैं तो कहना चाहता हूँ कि हम दिल्ली में 50 साल से रह रहे हैं और पचासों साले से पराली जल रही है। अभी यह क्या खास बात है कि हम दिल्ली के अंदर पराली-पराली चिल्लाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो 70 फीसदी से ज्यादा प्रदूषण है, वह लोकल कारणों से होता है? अभी पराली में ऐसा क्या हुआ है?

श्री सभापति: आपका question क्या है?

श्री विजय गोयल: सर, मेरा question यही है कि अभी ऐसा क्या हुआ है कि जो पराली 50 सालों से जल रही थी उसके बारे में अभी दिल्ली में पराली-पराली का शोर मच रहा है?

श्री सभापति: मंत्री जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो कहिए।

श्री कैलाश चौधरी: सभापति महोदय, मैं इसमें यह कहना चाहूंगा, वास्तविकता यह है कि यहां की जो राज्य सरकार है, उसे हम failure समझ सकते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। पॉल्यूशन के कई और कारण भी हो सकते हैं, जिनमें रोड्स का ट्रैफिक और डस्ट भी एक कारण हो सकता है। इसके साथ-साथ फैक्टरीज़ से भी पॉल्यूशन होता है, इसीलिए निश्चित रूप से यहां की राज्य सरकार को इसे देखना होगा। मैं सोचता हूं कि इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि किसानों को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी पॉल्यूशन की बात आती है, तो हमेशा किसान के ऊपर ही गाज गिराने का काम किया जाता है। यह नहीं होना चाहिए।